संशोधन आदेश

संख्या-5/2016/89/52-1-16-03(18)/10

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषय मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2406/52-1-15-03(18)/10, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** की अवशेष धनराशि रू० 65.62 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था-कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,लखनऊ के लिए अवमुक्त की गयी थी ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति के आदेश के पृष्ठ-2 के प्रस्तर-5 में यह अंकित किया गया था कि :-

''**यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस- 2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।**''

3- सम्प्रति उक्त पृष्ठ-2 के प्रस्तर-5 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

'' **यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।**''

http://shasanadesh.up.nic.in

4- तदनुसार शासन के पत्र संख्या- 2406/52-1-15-03(18)/10, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

5- शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2015 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव ।

संख्या-89(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।
7- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/बागपत ।
9- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बागपत।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
11- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://sha.anadesh.up.nic.in